क्रम संख्या–53

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 02 मई, 2023 ई0

बैशाख 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 173/XXXVI(3)/2023/11(1)/2023

देहरादून, 02 मई, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की (संशोधन) विधेयक, 2023' पर दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 14, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2023)

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की अधिनियम, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की अधिनियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में ''यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की'' शब्दों के स्थान पर, जहाँ जहाँ वे आते हैं, ''कोर यूनिवर्सिटी'' शब्द रख दिये जायेंगे।

व्यावृत्ति

3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,

सचिव।

उद्देश्य और कारण का कथन

विश्वविद्यालय की प्रायोजक न्यास सेठ रोशन लाल जैन ट्रस्ट के पास कोर नाम से शिक्षण संस्थान संचालित किये जाने का इतिहास व अधिकार होने एवं कोर नाम की विरासत को आगे बढ़ाये जाने के दृष्टिगत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रूड़की के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(डा0 धन सिंह रावत)
मंत्री

No. 173/XXXVI(3)/2023/11(1)/2023
Dated Dehradun, May 02, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The University of Engineering and Technology Roorkee (Amendment) Act, 2023' (Act No. 14 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28 th April, 2023.

THE UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ROORKEE (AMENDMENT) ACT, 2023

(Uttarakhand Act No. 14 Of 2023)

AN

ACT

further to amend in the University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-Four Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement	1.	(1) This Act may be called the University of Engineering and Technology Roorkee (Amendment) Act, 2023. (2) It shall come into force at once.
Amendment in the Act	2.	In the University of Engineering and Technology Roorkee Act, 2020, (hereinafter referred to as principal Act) for the words "University of Engineering and Technology Roorkee" wherever they occurs the words, "COER University" shall be substituted.
Saving	3.	Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

Statement of Objectives and Reasons

In view of, the University's sponsoring Trust Seth Roshan Lal Jain Trust, has the history and right to run an educational institution under the name of Coer and to carry forward the legacy of Coer; it is expedient to amend the name of the University of Engineering and Technology Roorkee.

2- The proposed Bill fulfills the above objectives.

(Dr. Dhan Singh Rawat)
Minister

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधायी / 194–2023–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)